झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर)
सिरखा टोली, नामकुम, रॉंची –834010 http//: www.jutranchi.ac.in

पत्रांक :–

/ रॉंची, दिनांक :–

M.TECH. & Ph.D. पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए निर्देश:-

1. झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राँची के परिसर में आपका स्वागत है। परिसर के भीतर आपसे इस गौरवशाली विश्वविद्यालय के छात्र के अनुरूप व्यवहार और आचरण की अपेक्षा की जाती है। सदा ही इस विश्वविद्यालय और झारखंड राज्य के मूल्यों और मापदण्डों को ऊंचा उठाए रखने का प्रयास करें।
2. सभी छात्रों को कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज़ लेनी आवश्यक हैं। कक्षाएं शुरू होने से पहले आपको टीकाकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति कुलसचिव कार्यालय को जमा करनी होगी। यदि आपने अभी तक दोनों डोज़ नहीं ली हैं, तो आपको 72 घंटों के अंदर लिए गए सैंपल की नकारात्मक आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जमा करनी होगी और तत्पश्चात अनिवार्य रूप से अपना टीकाकरण करवाना होगा। आपको कोविड-19 के उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करना होगा और परिसर में हर समय मास्क पहने रहना होगा।
3. विश्वविद्यालय परिसर में हर समय कृपया अपना विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र अनिवार्यतः पहने रहिए। कृपया विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न भवनों से आपातकालीन निकास के बारे में अपने आप को अच्छी तरह से परिचित कर लें।
4. विश्वविद्यालय परिसर और छात्रावास पूरी तरह से गैर धूम्रपान, तंबाकू मुक्त, मद्यपान मुक्त और नशीली दवाओं से मुक्त क्षेत्र हैं। रैगिंग किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिसर में किसी भी प्रकार के हथियार लाने या रखने की अनुमति नहीं है। किसी भी उल्लंघन की दशा में कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसके फलस्वरूप आपका पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है और विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड से आपका नाम भी काटा जा सकता है। कृपया एम.टेक. और पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए अध्यादेशों के संलग्नक-I में दिए गए आचरण और अनुशासन नियमों को अच्छी तरह पढ़ लें। इन अध्यादेशों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jutranchi.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. जाति, धर्म, क्षेत्र, राष्ट्रीयता, लिंग, यौन अभिविन्यास और सामाजिक या आर्थिक स्थिति के आधार पर मौखिक या व्यवहारिक भेदभाव पूर्णतः प्रतिबंधित है। किसी भी उल्लंघन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय परिसर में कुलसचिव या कुलपति की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि, धरना, राजनीतिक प्रदर्शन या पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि करने पर कड़ा प्रतिबंध है।
6. यदि आप विश्वविद्यालय परिसर के भीतर छात्रावास में रहने के इच्छुक हैं, तो कृपया **विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित सभी गाइड्लाइन का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।** छात्रावास में

आवास और आचरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नियमों के विरुद्ध व्यवहार करने पर आपके छात्रावास आवंटन को रद्द करने सहित कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

7. किसी भी प्रकार की सहायता या मार्गदर्शन के लिए विश्वविद्यालय के कुलसचिव या निदेशक (पाठ्यक्रम विकास) से पूछने में संकोच न करें।

माननीय कुलपति के आदेशानुसार,

ह0/–
कुलसचिव (प्र0),
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
राँची।

ज्ञपांक– JUT-683/2021/1552 /राँची, दिनांकः– 07/12/2021

प्रतिलिपिः–

1. माननीय कुलपति के कार्यालय को सूचनार्थ।
2. विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
3. M.TECH. & Ph.D. पाठ्यक्रमों में नामांकित सभी छात्रों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ निर्गत।

07.12.2021
कुलसचिव (प्र0),
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
राँची।